

उत्तराखण्ड शासन
सूचना अनुभाग
संख्या- 38 /XXII/ 2015-34(सूचना)2015
दिनांक : 10 अगस्त 2015

कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना विकास, शूटिंग स्थलों का निर्माण फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के माध्यम से रोजगार, पर्यटन के महत्व को बढ़ाने एवं क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने, निजी क्षेत्र से पूँजी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015 को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015

1. संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ :

- (क) यह नीति उत्तराखण्ड फिल्म नीति, 2015 कहलायेगी।
(ख) यह नीति आदेश जारी होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. प्रस्तावना :

उत्तराखण्ड राज्य के नैसर्गिक सौन्दर्य और मनोहारी लोक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में देश के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करने एवं देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं को फिल्म निर्माण के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से फिल्म नीति सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन गठित राज्य फिल्म विकास परिषद द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। इस नीति में राज्य में निर्मित एवं प्रदर्शित होने वाली फिल्मों को मनोरंजन कर में छूट, अनुदान, फिल्म पुरस्कार-सम्मान, क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहन एवं एकल खिड़की व्यवस्था (Single Window System) जैसे विषयों का समावेश किया गया है।

3. उद्देश्य :

- (क) नये शूटिंग स्थलों के सुनियोजित विकास तथा फिल्म सिटी की स्थापना करते हुए राज्य को फिल्म निर्माण के एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करना।
(ख) फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के क्षेत्र में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को विभिन्न वित्तीय संस्थानों एवं निजी निवेश के माध्यम से विकसित करना।
(ग) स्थानीय युवाओं को फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के क्षेत्र में सम्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
(घ) क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना।
(ङ) फिल्म के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत एवं पुरातात्विक धरोहर आदि के महत्व को बढ़ाने के साथ-साथ इनका प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित करना।

4. रणनीति :

- (क) राज्य फिल्म विकास परिषद की स्थापना करना।
(ख) फिल्म शूटिंग हेतु अनुमति प्रक्रिया को एकल खिड़की व्यवस्था के माध्यम से सुगम बनाना।
(ग) फिल्म निर्माण, प्रदर्शन एवं प्रक्रिया में अवस्थापना सुविधाओं, प्रशिक्षण आदि के सम्यक विकास हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं करना।

- (घ) विभिन्न वित्तीय संस्थानों/निजी पूंजी निवेशकों से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में वित्तीय सहयोग प्राप्त करना।
- (ङ) पूंजी निवेश आकर्षित करना।
- (च) सम्पूर्ण एवं सक्रिय प्रशासनिक सहयोग प्रदान करना।
- (छ) ऐसी सभी गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों, जो फिल्मों के निर्माण, प्रदर्शन एवं विकास में योगदान दें, उनसे प्रभावी समन्वय करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना।

5- परिभाषाएं :

- (क) फिल्मों की परिभाषा वही होगी, जो भारतीय सिनेमैटोग्राफी अधिनियम वर्ष 1952 में दी गयी हों।
- (ख) 'परिषद' से 'उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद' अभिप्रेत है।
- (ग) 'निधि' से 'उत्तराखण्ड फिल्म विकास निधि' अभिप्रेत है।
- (घ) 'सरकार/शासन' से 'उत्तराखण्ड सरकार/शासन' अभिप्रेत है।
- (ङ) कार्यकारी मण्डल से परिषद का कार्यकारी मण्डल (Executive Board) अभिप्रेत है।
- (च) लैब अथवा प्रयोगशाला से अर्थ एक या एक से अधिक ऐसे तकनीकी संस्थान जहाँ फिल्म प्रोसेसिंग/डिजिटल इमेजिंग/साउण्ड रिकार्डिंग/डबिंग/एडिटिंग/फिल्म एनिमेशन/ग्राफिक्स/स्पेशल इफैक्ट्स कार्य किये जाते हैं।

6. फिल्म व्यवसाय की स्थापना :

फिल्मों के लिए एक विशिष्ट प्रकार की अवस्थापना की आवश्यकता होती है। राज्य द्वारा निजी तथा संयुक्त-क्षेत्र में इस प्रकार की अवस्थापना के सृजन को बढ़ावा दिया जायेगा। निजी-क्षेत्र में इस प्रकार की अवस्थापना के उपलब्ध होने तक राज्य यथासम्भव विद्यमान समस्याओं को अपने प्रयासों से दूर करने का प्रयत्न करेगा। फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना को सामान्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :-

- (1) शूटिंग स्थलों का विकास/फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना
- (2) स्टूडियोज/लैब्स/उपकरण
- (3) पूंजी निवेश एवं भूमि चयन

6(1) (i) शूटिंग स्थलों का विकास/फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना :

- (क) प्रदेश में फिल्म उद्योग को स्थापित करने लिए राज्य में चिन्हित स्थानों पर एक फिल्म सिटी की स्थापना हेतु प्रयास किये जायेंगे।
- (ख) फिल्म उद्योग के परामर्श से राज्य द्वारा प्रस्तावित फिल्म सिटी की स्थापना के लिए सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना होगा। प्रदेश में विद्यमान सम्भावनाओं का पूर्ण दोहन सुनिश्चित करने के लिए राज्य फिल्म विकास परिषद द्वारा स्वयं अथवा किसी एजेंसी के माध्यम से एक सम्भाव्यता अध्ययन कराया जाएगा। इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उसे निजी क्षेत्र के सहयोग से क्रियान्वित किया जायेगा।
- (ग) राज्य सरकार भी इस फिल्म सिटी की स्थापना में सहयोग करेगी और इसके लिए औद्योगिक दरों पर भूमि उपलब्ध करायेगी तथा सहायक अवस्थापना के सृजन में भी सक्रिय योगदान देगी। सुरक्षा की दृष्टि से फिल्म सिटी में पुलिस थाना, अग्नि-शमन केन्द्र, सम्पर्क मार्ग तथा वाह्य जल निकासी आदि भौतिक अवस्थापनाओं का विकास

'फिल्म विकास निधि' के माध्यम से अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य मद से किया जायेगा।

- (घ) प्रदेश में उपलब्ध प्रचुर नैसर्गिक सुन्दरता, समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं तथा ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि का पर्यटन विभाग के साथ समन्वय कर निरन्तरता के आधार पर प्रदेश में आउट-डोर शूटिंग के लिए स्थलों का चयन कर उनका विकास किया जायेगा। इसके लिए पर्यटन विभाग के सहयोग से फिल्म विकास परिषद द्वारा ट्रांसपैरेन्सीज, लघु फिल्मों, प्रचार-साहित्य जैसे- ब्रोशर्स इत्यादि विकसित किये जायेंगे। प्रदेश की नयी 'पर्यटन नीति' के तहत निजी-क्षेत्र को इस बात के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा कि वे इन शूटिंग स्थलों पर होटल्स, रेस्टोरेन्ट्स तथा कैम्पिंग सुविधाओं की स्थापना करे।

6(1) (ii) फिल्म स्टूडियोज/लैब्स :

जब तक प्रदेश में एक पूर्ण रूप से क्रियाशील फिल्म सिटी की स्थापना नहीं हो जाती तब तक स्टूडियोज तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जायेगा। इनकी स्थापना हेतु राज्य की संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त क्षेत्रीय फिल्मों के लिए इस नीति के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान योजना से उन्हें सम्बद्ध किया जायेगा, ताकि राज्य में स्थापित फिल्म स्टूडियोज/प्रयोगशालाएं लाभदायक बन सकें।

6(1) (iii) पूंजी निवेश एवं भूमि चयन :

राज्य सरकार निजी पूंजी निवेश एवं ऋण आदि के द्वारा स्टूडियो एवं प्रयोगशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। इस संबंध में औद्योगिक विकास विभाग से ऐसी इकाईयों को वित्तीय सहायता दिये जाने की यथा सम्भव व्यवस्था की जायेगी। फिल्म स्टूडियो एवं प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु राज्य सरकार भूमि के चयन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

6 (2) फिल्मों का प्रदर्शन :

केबल नेटवर्क, वीडियो सी.डी./डी.वी.डी. और डिजिटल मीडिया के अत्यधिक विकास से छविगृहों की आय में अत्यधिक कमी हुई है। इसके अतिरिक्त छविगृहों के खस्ता हालत एवं अनुरक्षण न होने के कारण भी छविगृहों का अस्तित्व खतरे में है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए छविगृहों में सिनेमा मनोरंजन को विकसित करने के लिए राज्य सरकार निम्न प्रोत्साहन देगी:-

- (क) राज्य सरकार 1000 मीटर से अधिक ऊँचाई पर स्थित सिनेमाघरों को उद्योग का दर्जा प्रदान करेगी।
(ख) बंद छविगृहों को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित क्षेत्र के 35 प्रतिशत क्षेत्र हेतु व्यावसायिक उपयोग के लिये अनुमति प्रदान की जायेगी।
(ग) बंद छविगृहों को पुनर्जीवित करना :

आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्रदेश में बन्द पड़े छविगृहों में पुनः फिल्म प्रदर्शन हेतु लाईसेंस प्राप्त करने पर छविगृह स्वामियों को 03 वर्ष तक 30 प्रतिशत मनोरंजन कर में छूट प्रदान की जायेगी। 1000 मीटर अथवा अधिक ऊँचाई पर स्थित पुराने ऐसे सिनेमाघरों को न्यूनतम 150 दर्शक क्षमता के सिनेमाघरों हेतु जीर्णोद्धार के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी निधि से दी जायेगी जो लागत का 15 प्रतिशत अथवा रू० 25 लाख, जो भी न्यूनतम हो, होगी।

- (घ) प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सहित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में बहुउद्देशीय मनोरंजन गृहों (जिसमें डी.वी.डी. गृहों के साथ ही फूड कोर्ट, हस्तशिल्प हाट आदि सम्मिलित होंगे) की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- (ङ) वर्तमान में छविगृहों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृष्टीकरण में निवेश करने वाले सिनेमा गृह मालिकों को मनोरंजन कर में तीन वर्षों तक 35 प्रतिशत छूट अथवा सुदृढीकरण/उच्चीकरण में निवेश की गई कुल धनराशि का 50 प्रतिशत जो भी न्यूनतम हो, कर छूट के रूप में एक बार हेतु प्रदान किया जायेगा।
- (च) आधुनिक दृश्य-श्रव्य उपकरणों युक्त नये सिनेमाघरों को पांच वर्ष के लिए मनोरंजन कर में 30 प्रतिशत की छूट तथा निर्मित क्षेत्र के 35 प्रतिशत को व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी।
- (छ) प्रदेश में मल्टीप्लैक्स छविगृहों की स्थापना करने हेतु जिसमें कम से कम दो सिनेमागृह संचालित हों, को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 07.06.2010 से 06.06.2015 तक फिल्म प्रदर्शन हेतु लाईसेंस प्राप्त करने वाले मल्टीप्लैक्स छविगृह स्वामियों को मल्टीप्लैक्स छविगृह की लागत के अनुपात में 05 वर्ष की अवधि हेतु मल्टीप्लैक्स छविगृह की वास्तविक लागत प्राप्त होने तक 100 प्रतिशत मनोरंजन कर में छूट अनुमन्य किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत किया गया है। इस शासनादेश को नीति लागू होने की तिथि से एक वर्ष के लिए विस्तारित किया जायेगा।
- (ज) राज्य सरकार छविगृहों में जाने वाले लोगों को अधिक सुविधायें प्रदान करने, सिनेमा टिकटों के मूल्य नियंत्रण आदि के लिए भी दिशा-निर्देश एवं नियम तैयार करेगी।

7. उत्तराखण्ड फिल्म विकास निधि :

- (क) उत्तराखण्ड के गठन के पूर्व से ही सिनेमा टिकटों पर पचास पैसे प्रति टिकट की दर से फिल्म विकास निधि के रूप में सिनेमागृह स्वामियों द्वारा दर्शकों से वसूल करके कोषागार में जमा किया जाता है, परन्तु उक्त एकत्रित धनराशि के उपयोग हेतु अभी तक कोई नीति नहीं बनाई गयी है। अतः उक्त एकत्रित धनराशि के समुचित उपयोग हेतु फिल्म विकास निधि गठित की जायेगी। उक्त निधि का उपयोग निम्न प्रकार किया जायेगा।
- (i) क्षेत्रीय फिल्मों को अनुदान उपलब्ध कराना।
- (ii) सिनेमा स्वामियों को सिनेमा के आधुनिकीकरण/पुनर्निर्माण हेतु न्यूनतम दरों में ऋण उपलब्ध कराना।
- (iii) फिल्मों का वित्त पोषण।
- (iv) पुरस्कार।
- (v) फिल्मों के लिए अवस्थापना का विकास।
- (vi) फिल्मोत्सव।
- निधि का संचालन परिषद द्वारा किया जायेगा। "निधि के संचालन के लिए परिषद द्वारा अलग से नियमावली बनायी जायेगी। सिनेमा टिकटों पर 50 पैसे प्रति टिकट की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।
- (ख) निधि की स्थापना हेतु आरम्भिक रूप से राज्य सरकार द्वारा ₹ एक करोड़ मात्र कारपस फण्ड/सीड मनी (Corpus Fund/Seed Money) के रूप में प्रदान किया जायेगा।
- (ग) राज्य सरकार मनोरंजन कर से प्राप्त कुल आय के 05 प्रतिशत को फिल्म विकास निधि में जमा करेगी।

8. राज्य में एकल खिडकी व्यवस्था :

फिल्म शूटिंग एवं फिल्म व्यवसाय से संबंधित अन्य आवश्यकताओं के लिए एकल खिडकी व्यवस्था स्थापित की जायेगी। जिसके माध्यम से निम्न कार्य किये जायेंगे :-

- (क) उत्तराखण्ड के विभिन्न स्थानों पर फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक अनुमति की औपचारिकताओं को सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से सुगम बनाया जायेगा।
- (ख) फिल्म शूटिंग के लिये अनुमति पत्र महानिदेशक सूचना, जोकि पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य फिल्म विकास परिषद भी होंगे, के द्वारा जारी किया जायेगा।
- (ग) महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य फिल्म विकास परिषद प्रदेश के सभी सार्वजनिक स्थलों पर फिल्म शूटिंग हेतु अनुमति पत्र देने के लिए अधिकृत होंगे।
- (घ) वन क्षेत्र एवं ऐसे स्थलों पर जहां पर कोई विधिक प्रतिबन्ध होता हो, ऐसे स्थानों के लिये संबंधित विभाग/संस्था की सहमति से शूटिंग हेतु अनुमति दी जायेगी। फिल्म निर्माता द्वारा आवेदन पत्र में शूटिंग स्थलों की स्पष्ट जानकारी दी जायेगी। वन विभाग एकल खिडकी व्यवस्था के अन्तर्गत सक्षम स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा जो महानिदेशक, सूचना द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर एक सप्ताह के भीतर अपनी लिखित सहमति/असहमति प्रदान करेंगे।
- (ङ) राज्य फिल्म विकास परिषद द्वारा दिए गए निर्देशों/अनुमति पत्र को महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी संबंधित प्राधिकारियों को अनुपालन हेतु प्रेषित करेंगे, जिसका संबंधित प्राधिकारी पालन करेंगे।
- (च) उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय भाषा/बोली में बनने वाली फिल्मों की शूटिंग के लिये एक मुश्त 15,000/- रुपये प्रतिमाह तथा अन्य फिल्मों के लिये 10000/- रुपये प्रति दिन शूटिंग शुल्क लिया जायेगा, जो फिल्म विकास निधि में जमा होगा। सिंगल विण्डो सिस्टम के अतिरिक्त राज्य सरकार के विभागों द्वारा शूटिंग हेतु कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जायेगा। परन्तु शूटिंग स्थल पर यदि पूर्व से ही कोई प्रवेश शुल्क या पार्किंग शुल्क, निर्धारित हो तो फिल्म निर्माता द्वारा उसका वहन किया जायेगा।
- (छ) शूटिंग की समाप्ति पर संबंधित विभाग साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु कोई शुल्क लेना चाहे तो वह अतिरिक्त देय होगा, परन्तु उसका धनराशि का उल्लेख अनुमति पत्र में भी किया जायेगा।
- (ज) महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य फिल्म विकास परिषद को अनुमति पत्र देते समय सम्यक प्रतिबन्धों, शर्तों तथा चेतावनियों को जारी करने हेतु अधिकृत किया जायेगा। फिल्म निर्माता द्वारा शूटिंग अनुमति हेतु आवेदन प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर निर्माता को लिखित रूप से अनुमति देने अथवा अनुमति नहीं देने की सूचना दी जायेगी।
- (झ) महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य फिल्म विकास परिषद द्वारा अनुमति प्रदान करने की स्थिति में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक, संबंधित मजिस्ट्रेट और थाना प्रभारियों को सूचित करेंगे, जो कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे।

9. फिल्म इकाईयों के लिए आवासीय सुविधा

'परिषद' द्वारा चयनित स्थलों पर लोक निजी सहभागिता के आधार पर आवासीय फिल्म काम्प्लेक्स बनाये जायेंगे, जिसमें उच्च स्तरीय आवासीय सुविधा के साथ ही फिल्म तकनीशियनों एवं अन्य सहायक स्टाफ के लिये भी आवासीय प्रबंध होगा। इन काम्प्लेक्सों के साथ ही फिल्म यूनिट के आवागमन के लिये लकजरी बसों तथा उपकरण ढुलान के लिये ट्रकों आदि को आउटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

10. सरकारी हवाई पट्टियों की उपलब्धता

राज्य अधीन विभिन्न हवाई पट्टियों को फिल्म इकाईयों के उपयोग हेतु निर्धारित किराये की दरों पर ही उपयोग की अनुमन्यता प्रदान की जायेगी।

11. मानव संसाधन का विकास

- (क) फिल्म व्यवसाय के उपयुक्त विकास के लिए प्रतिभा सम्पन्न कलाकार एवं प्रशिक्षित तकनीशियनों की उपलब्धता आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश के पांच चिन्हित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में फिल्म से संबंधित व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनुमन्य करेगी।
- (ख) राज्य सरकार निजी क्षेत्र में ऐसे संस्थानों को प्रोत्साहित करेगी, जो फिल्म व्यवसाय से संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करते हों।
- (ग) 'परिषद' भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में अध्ययनरत उत्तराखण्ड के छात्रों को पूरे प्रशिक्षण सत्र के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान कर सकेगी।
- (घ) 'परिषद' पीपीपी मोड पर निजी क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर स्थानीय युवा व कलाकारों की दक्षता के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने का कार्य करेगी।

12. फिल्मों का वित्त पोषण

- (क) 'निधि' से उन्हीं फिल्मों का वित्त पोषण किया जायेगा, जो उत्तराखण्ड में फिल्मायी जाय तथा जो राज्य को प्रभावी रूप से प्रदर्शित कर सकें। फिल्मों के वित्त पोषण के लिए निम्न व्यवस्थाएं की जायेगी ;
- (ख) 'परिषद' के अधीन फिल्म वित्त पोषण के लिए एक उप समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :-

(एक)	उपाध्यक्ष, राज्य फिल्म विकास परिषद	-	अध्यक्ष
(दो)	महानिदेशक, सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	-	सदस्य सचिव
(तीन)	तीन सदस्य जो अध्यक्ष राज्य फिल्म विकास परिषद द्वारा नामित किये जायेंगे।	-	सदस्य
(चार)	वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना	-	सदस्य

- (ग) उक्त उप समिति गुण-अवगुण के आधार पर वित्त पोषण चाहने वाली फिल्मों की एक प्राथमिकता सूची तैयार करेगी तथा उपयुक्त फिल्मों हेतु निर्माण लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत वित्त पोषण करने के संबंध में विचार करेगी।
- (घ) फिल्मों के वित्त पोषण पर उपसमिति के निर्णय एवं वित्त पोषित की जाने वाली धनराशि हेतु अंतिम आदेश/अनुमति महानिदेशक सूचना/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन के उपरांत ही जारी किया जा सकेगा।
- (ङ) बड़े बैनरों के अधीन अर्थात् ₹ दो करोड़ अथवा अधिक लागत की व्यवसायिक फिल्मों हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

13. कर प्रोत्साहन

- (क) क्षेत्रीय फिल्मों को मनोरंजन कर में छूट - प्रदेश में क्षेत्रीय फिल्म प्रमाणीकरण परिषद का गठन किया जायेगा। इससे उत्तराखण्ड में निर्मित फिल्मों विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित फिल्मों के लिए प्रमाणीकरण की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। प्रमाणीकरण के पश्चात क्षेत्रीय भाषाओं में निर्मित क्षेत्रीय फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट अनुमन्य होगी। इससे क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्रीय फिल्मों का विकास होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में रोजगार के

अवसर होंगे। उत्तराखण्ड फिल्म प्रमाणीकरण परिषद का गठन राज्य फिल्म विकास परिषद द्वारा किया जायेगा।

- (ख) एन.सी.वाई.पी. द्वारा निर्मित बाल फिल्मों को भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को बिना पूर्व प्रदर्शन के मनोरंजन कर में छूट प्रदान की जायेगी।
- (ग) फिल्म निर्माण से संबंधित उपकरणों यथा, कैमरा, क्रेन, ट्रॉली, रिफ्लेक्टर, जनरेटर, स्टार्म फैन, ध्वनि व प्रकाश उपकरणों पर फिल्म नीति की घोषणा के उपरान्त पाँच वर्ष तक आरोपित व्यापार कर की प्रतिपूर्ति निधि द्वारा की जायेगी।
- (घ) जिन फिल्मों की 50 प्रतिशत अथवा कुल आउटडोर शूटिंग दिवसों के आधे से अधिक शूटिंग उत्तराखण्ड राज्य में हुई हो उन्हें गुण-दोष के आधार पर पूर्व प्रदर्शन के उपरान्त राज्य में कर मुक्त (टैक्स फ्री) किया जायेगा।

14. क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में

- (क) उत्तराखण्ड की क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में बनने वाली फिल्मों को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹ 25 लाख (दोनों में जो न्यूनतम हो) का अनुदान उत्तराखण्ड स्थित लैब हेतु तथा 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 20 लाख रुपये (जो न्यूनतम हो) का अनुदान प्रदेश से बाहर स्थित लैब के लिये प्रदान किया जायेगा। यह अनुदान संबंधित फिल्म प्रोसेसिंग लैब को स्वीकृत किया जायेगा। यह अनुदान सेंसर प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रदान किया जायेगा। इन फिल्मों के लिए फिल्म का 75 प्रतिशत फिल्मांकन (अर्थात् कुल शूटिंग दिवसों का 3/4 भाग) राज्य में ही करना होगा।
- (ख) राज्य फिल्म व्यवसाय के समेकित विकास के लिए दूसरे राज्यों के फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के लिए राज्य में आकर्षित किया जायेगा। इसके लिए अन्य राज्यों की क्षेत्रीय फिल्मों को, जो 75 प्रतिशत उत्तराखण्ड में शूटिंग की गई हो, को फिल्म प्रोसेसिंग लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹ 15 लाख (दोनों में जो न्यूनतम हो) का अनुदान उत्तराखण्ड स्थित लैब हेतु तथा 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10 लाख रुपये (जो न्यूनतम हो) का अनुदान प्रदेश से बाहर स्थित लैब प्रदान किया जायेगा। यह अनुदान फिल्म को सेंसर प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित फिल्म प्रोसेसिंग लैब को स्वीकृत किया जायेगा।
- (ग) यदि कोई फिल्म निर्माता उत्तराखण्ड प्रदेश में फिल्म निर्माण/फिल्म की शूटिंग के माध्यम से प्रदेश के पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक थीम/विरासत के संबंध में फिल्म निर्मित करता है, जिससे उत्तराखण्ड प्रदेश की विशिष्ट पहचान प्रदेश में या प्रदेश के बाहर बनती है तो उसे सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।
- (च) अनुदान चयन के लिए पटकथा की गुणवत्ता, निर्देशक का अनुभव व ख्याति एवं बजट का परीक्षण उपसमिति द्वारा किया जायेगा।
- (छ) उक्त अनुदान केवल प्रथम प्रिंट की सीमा तक के लिए ही दिया जायेगा।

15. फिल्म संस्कृति का विकास

अधिक से अधिक लोगों को उच्च स्तर की फिल्मों की ओर आकर्षित करने के राज्य सरकार प्रयास करेगी। इसके लिए राज्य सरकार फिल्म सोसाइटीज को प्रोत्साहित करेगी, फिल्म उत्सवों का आयोजन करेगी एवं महत्वपूर्ण फिल्मों के लिए पुरस्कार प्रदान करेगी। महत्वपूर्ण कार्यों/उपलब्धियों के लिए राज्य सरकार पंजीकृत फिल्म सोसाइटीज को भी पुरस्कार प्रदान करेगी।

16. फिल्म निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार

(क) फिल्म निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के सम्मान में राज्य सरकार वार्षिक फिल्म पुरस्कार समारोह आयोजित करेगी। इसके लिए एक तटस्थ ज्यूरी राज्य फिल्म विकास परिषद के अधीन गठित की जायेगी। वार्षिक फिल्म पुरस्कार निम्न क्षेत्रों में प्रदान किये जायेंगे ;

- मुख्य धारा की हिन्दी फिल्मों, जो पूर्ण रूप से उत्तराखण्ड में शूट की गई हों।
- टी.वी. फिल्म अथवा धारावाहिक, जो उत्तराखण्ड में निर्मित किये गये हों।
- राज्य क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में निर्मित फिल्में।
- राज्य क्षेत्र में निर्मित डाक्यूमेंट्रीज।

(ख) यह पुरस्कार एवं इनसे संबंधित समारोह का व्यय 'निधि' से वहन किया जायेगा।

17. फिल्म उत्सव :

(क) 'परिषद' द्वारा वर्ष में एक बार फिल्म उत्सव आयोजित किया जायेगा। इस उत्सव में राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर की फिल्मों का प्रदर्शन किया जायेगा।

(ख) राज्य में फिल्म संस्कृति के विकास एवं फिल्म व्यवसाय के प्रोत्साहन में भी यह उत्सव सहयोग प्रदान करेगा। फिल्म उत्सव में सूचना, संस्कृति, पर्यटन एवं मनोरंजन कर विभाग द्वारा अनिवार्य रूप से प्रतिभाग किया जायेगा।

18. वीडियो पॉयरेसी एवं फिल्मों के अवैधानिक प्रदर्शन पर रोक :

वीडियो पॉयरेसी एवं अवैधानिक फिल्म प्रदर्शन द्वारा फिल्म व्यवसाय को अत्यधिक क्षति पहुंचाई गई है। इस क्रम में राज्य सरकार वीडियो पॉयरेसी एवं फिल्मों के अवैधानिक प्रदर्शन को रोकने हेतु उपलब्ध नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी एवं आवश्यकता पड़ने पर नये नियमों/व्यवस्थाओं का गठन करेगी।

19. उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद (Uttarakhand Film Development Council)

उत्तराखण्ड फिल्म नीति के अन्तर्गत एक राज्य फिल्म विकास परिषद का गठन किया जायेगा, जिसका नाम उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद होगा। परिषद में अधिकतम 16 सदस्य होंगे। उक्त परिषद का स्वरूप निम्नानुसार होगा:-

1	मा0 मुख्यमंत्री	अध्यक्ष	01
2	उत्तराखण्ड क्षेत्र के प्रतिष्ठित जनप्रतिनिधि/ समाजसेवी/क्षेत्रीय अथवा हिन्दी भाषा की फिल्मों के विशेषज्ञ	उपाध्यक्ष	01
3	उत्तराखण्ड राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों व अन्य हिन्दी फिल्मों से जुड़े फिल्मकार/ विषय विशेषज्ञ (नामित)	सदस्य	07
4	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
5	प्रमुख सचिव/सचिव, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
6	प्रमुख सचिव/सचिव पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
7	प्रमुख सचिव/सचिव संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01

8	प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
9	प्रमुख सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य	01
10	महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी	01

परिषद के उपाध्यक्ष तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा। फिल्म विकास परिषद एक स्थाई संस्था होगी और अध्यक्ष सहित एक तिहाई सदस्यों के साथ परिषद का कोरम पूर्ण माना जायेगा।

20. कार्यकारी मण्डल (Executive Board of UFDC)

(क) राज्य फिल्म विकास परिषद के कार्य संचालन हेतु एक कार्यकारी मण्डल का गठन निम्नानुसार किया जायेगा :-

(एक) मुख्य कार्यकारी अधिकारी - महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

(दो) अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी - अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

(तीन) सचिव, कार्यकारी मण्डल - सहायक/उपनिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

(चार) वित्त परामर्शी - वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

(ख) यह कार्यकारी मण्डल परिषद के नैतिक कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगा।

(ग) कार्यकारी मण्डल प्रति तीन माह अथवा परिषद के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में परिषद के क्रियाकलापों से सम्बन्धित प्रतिवेदन परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करेगा।

(घ) 'परिषद' के कार्य संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा लागू किया जायेगा।

21. फिल्म सोसाइटीज :

(क) फिल्म सोसाइटीज फिल्म संस्कृति के विकास तथा सिने दर्शकों का एक विवेकशील तथा बुद्धिमान वर्ग सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे एक ऐसा माध्यम है, जिनके द्वारा उच्च श्रेणी का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सिनेमा, जानकार लोगों द्वारा देखा जाता है, उन पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। राज्य में स्थापित फिल्म सोसाइटीज की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'फिल्म सोसाइटी आफ इंडिया' से विधिक रूप से पंजीकृत गम्भीर एवं सक्रिय फिल्म सोसाइटीज को फिल्म विकास निधि से 10,000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जायेगा। साथ ही पंजीकृत फिल्म एसोसियेशनों को भी फिल्म विकास निधि से अधिकतम 10 हजार रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जा सकता है। ऐसी फिल्म सोसाइटीज/फिल्म एसोसिएशन का कार्य क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य क्षेत्र होना आवश्यक होगा।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) तथा फिल्म सोसाइटी आफ इंडिया से इस बात का आग्रह किया जायेगा कि वे इन सोसाइटीज को अपनी गतिविधियों के विकास तथा उन्नयन हेतु कम लागत के विशेष पैकेज प्रदान करें।

22. विधिक परिवर्तन :

- (क) इस फिल्म नीति से साम्यता बनाये रखने हेतु आवश्यकता पड़ने पर, सिनेमेटोग्राफी नियमावली एवं अन्य ऐसे नियमों में आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे।
- (ख) भविष्य में यथा आवश्यकता प्रदेश की फिल्म नीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/शिथिलीकरण मुख्यमंत्री के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।
- (ग) इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पूर्व में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत राज्य फिल्म विकास परिषद एवं क्षेत्रीय फिल्म विकास परिषद की अधिसूचनाएं स्वतः निष्प्रभावी मानी जायेगी।
- (घ) फिल्म नीति की प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार समय-समय पर दिशा निर्देश जारी करेगी।


(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।